कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज०)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
75/18	88 RTA	बड़ा	छीपाबड़ौद

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
जगन्नाथ	बनाम	राज्य

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
29.5.18	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA विरुद्ध प्रार्थी वादी गण के न्याया. में पेश किया गया। रिपोर्ट तहसील का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी वादी गण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.6.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	मुरलीधर
20.6.18	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. जवाबदावा अप्रार्थी 1 ता 11 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। वकील वादी को विचार गया अप्रार्थी क्रम 13 ता 29 से कोई अनुतोष नहीं चाहा है इसलिए उनकी तामील कराना आवश्यक नहीं है। वकील वादी साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं अतः साक्ष्य वादी बंद की जाती है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29-6-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	सूरजमल किशनगोपाल दुर्गालाल नन्दकिशोर
29.6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प छीपाबड़ौद पर आज पेश हुई। अभिभाषक आम पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आज ही प्रकट किया गया। पत्रावली [illegible] होकर बाद तामील नकलों के दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	राजाराम राधेश्याम रामेश्वर [illegible] [illegible] [illegible]

Scanned by CamScanner

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपाबडौद
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :–75/2018 दावा
दायरा दिनांक :– 29.05.2018
निर्णय दिनांक :– 29.06.2018

उनवान

1. जगन्नाथ पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडाय तहसील छीपाबडौद जिला बारां
2. मेहनलाल पुत्र पन्नालाल जाति धाकड निवासी बडाय तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

1. प्रभू पुत्र भेरिया
2. किशनगोपाल पुत्र पन्ना
3. दुर्गालाल पुत्र पन्ना
4. धन्नीबाई पुत्री पन्ना
5. सुखीबाई पुत्री पन्ना
6. समुद्राबई पुत्री पन्ना
7. मुन्नीबाई बेवा रामचन्द्र
8. राजाराम पुत्री लक्ष्मीनारायण
9. नन्दकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण
10. रामद्वारकीबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण
11. कंवरीबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी गण बडाय तहसील छीपाबडौद
12. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद
13. कन्हैयालाल पुत्र बिरधीलाल
14. चौथमल पुत्र बिरधीलाल
15. कजोडीबाई बेवा बिरधीलाल
16. रामकिशन पुत्र गोमदा
17. देवीलाल पुत्र गोमदा
18. घांसीलाल पुत्र गिरधारी
19. बिरधीलाल पुत्र गिरधारी
20. सूरजमल पुत्र गिरधारी
21. राजमल पुत्र प्रभू
22. मथुरालाल पुत्र प्रभू
23. रामगोपाल पुत्र प्रभू
24. मन्नालाल पुत्र प्रभू
25. रेखाबाई पुत्री प्रभू
26. घीसीबाई बंवा प्रभू
27. दुष्यन्त नाबा0 प्रत्र रामप्रसाद
28. किरन नाबा0 पुत्री रामप्रसाद नाबा0 की वली माता ललताबाई

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

29. ललताबाई बेवा रामप्रसाद जाति धाकड निवासीगण बडाय तहसील छीपाबडौद

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 29.06.2018

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 490 रकवा 10.19 बीघा ख0नं0 491 रकवा 12 बीघा कुल किता 2 रकवा 22.19 बीघा मौजा बडाय तहसील छीपाबडौद में स्थित है। जो वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 11 व तरतीबा प्रतिवादी गण के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 11 के मध्य काफी अर्से पूर्व उक्त वर्णित आराजीयात का बाहमी विभाजन हो रहा है जिसके मुजब उक्त वर्णित आराजीयात में से प्रतिवादी कम 1 ता 11 के हिस्से की आराजी वादीगण के हक हिस्से में आई है जिसमें से 1/4 हिस्से की आराजी पर वादी कम 1 का एवं 1/4 हिस्से की आराजी पर वादी कम 2 का हक हिस्सा व कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी कम 1 ता 11 ने उक्त वर्णित आराजीयात में से अपने हिस्से की आराजीयात वादीगण के खातेदारी में दर्ज करवाने का आश्वासन वादीगण को दिया था लेकिन प्रतिवादी कम 1 ता 11 द्वारा वादीगण के बार बार निवेदन करने के बावजूद भी अपने हिस्से की आराजीयात वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं करवाई इसलिए वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके प्रतिवादी कम 1 ता 11 के नाम दर्ज आराजीयात को वादीगण के खातेदारी में दर्ज करवाने के तथा प्रतिवादी कम 1 ता 11 का नाम खातेदारी से खारिज`रवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा हैं इसलिए यह वाद पत्र घोषणा खातेदारी का माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं

वादीगण नं प्रतिवादी कम 1 ता 11 से दिनांक 28.05.2018 को निवेदन किया तो प्रतिवादी कम 1 ता 11 ने वादीगण के निवेदन पर कतई ध्यान नहीं दिया तथा वादीगण के खातेदारी दर्ज करवाने में टालमटूल की यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है। तरतीबा प्रतिवादी कम 27 व 28 नाबा0 है जो अपनी माता प्रतिवादी कम 29 की संरक्षता में निवास कर रहे है नाबा0 के विरूद्ध जरिए वली माता प्रतिवादी कम 29 के वाद प्रस्तुत करना नितान्त आवश्यक हो गया है वैसे भी प्रतिवादी कम 13 ता 29 तरतीबा प्रतिवादी है जिनके विरूद्व उक्त वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादीगण द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 11 की ओर से इकबाली जबाव दावा पेश हुआ। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बडाय सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 35, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम बडाय सम्वत 2070–73 पेश कि गयी।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपाबडौद पर रखा गया। वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपाबडौद पर स्वयं उपस्थित थे। प्रतिवादी गण द्वारा केम्प में उपस्थित होकर इकबाली जबाव दावा पेश किया जिसमें बताया कि वादी का वाद डिकी किया जाकर विवादित आराजी में वादी को खातेदार कृषक घोषित करने में हम प्रतिवादी कम 1 ता 11 को कोई आपत्ति नहीं है। वादी द्वारा प्रतिवादी कम 13 ता 29 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

वाद पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके ग्राम [illegible] संवत 2070-73 खाता संख्या 36 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 एवं तरमीम प्रतिवादी क्रम 12 ता 29 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 अपने खाते से नाम खारिज करवा कर वादी गण के खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु इकबाली जवाब दावा पेश किया है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 को वादीगण के खातेदारी में दर्ज करने व अपना नाम खाते से खारिज करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

: क्रियात्मक आदेश :

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प छीपाबड़ौद पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम [illegible] की आराजी खसरा नं0 440 रकबा 10.19 बीघा खसरा नं0 441 रकबा 12 बीघा भूमि प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 का नाम खाते से खारिज किया जाता है तथा वादी क्रम 1 को 1/4 हिस्से का एवं वादी क्रम 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां

डिक्री

वाद संख्या 75/18	धारा अंतर्गत 88 RTA	निर्णय दिनांक 29.6.18
समक्ष - श्री हीरालाल वर्मा RAS उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद		
उपस्थिति – अभिभाषक वादी Sh. C.K. Sharma	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

1- जगन्नाथ पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ निवासी बड़ाय तह० छीपाबड़ौद
2- ~~जगन्ना~~ मोहनलाल पुत्र पन्नालाल जाति धाकड़ नि० बड़ाय तह० छीपाबड़ौद

बनाम

1- प्रभु पुत्र मोडिया 2- कृष्णगोपाल पुत्र पन्ना 3- दुर्गालाल पुत्र पन्ना
4- धन्नीबाई पुत्री पन्ना 5- सुखीबाई पुत्री पन्ना 6- लाडूबाई पुत्री पन्ना
7- दुर्गीबाई बेवा रामचन्द्र 8- राजाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण
9- नन्दकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण 10- रामप्यारीबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण
11- कंवरीबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ निवासीगण बड़ाय तह० छीपाबड़ौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मेंयह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी० का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प छीपाबड़ौद पर स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बड़ाय की आराजी ख०नं० 490 रकबा 10.19 बीघा, ख०नं० 491 रकबा 12 बीघा शामिल से प्रतिवादी क्र० 1 ता 11 का नाम खाते से विलोप किया जाता है तथा वादी क्र० 1 को 1/4 हिस्से का एवं वादी क्र० 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार.................रू0 का व्यायानुतोष.................द्वारा.................को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 29.6.18 को निर्गत किया गया ।

उपजिला कलेक्टर
छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner

12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद
13. कन्हैयालाल पुत्र छीतरलाल
14. चौथमल पुत्र छीतरलाल
15. कजोड़ीबाई बेवा छीतरलाल
16. रामकिशन पुत्र गोरडा
17. देवीलाल पुत्र गोरडा
18. बंशीलाल पुत्र भिखारी
19. छीतरलाल पुत्र भिखारी
20. दूलमल पुत्र भिखारी
21. राजमल पुत्र ऊंकार
22. मथुरालाल पुत्र ऊंकार
23. रामगोपाल पुत्र ऊंकार
24. मन्नालाल पुत्र ऊंकार
25. रेखाबाई पुत्री ऊंकार
26. धीसीबाई बेवा ऊंकार
27. दुष्यन्त नाबा० पुत्र रामप्रसाद
28. किरन नाबा० पुत्री रामप्रसाद नाबा० की वली माता ललताबाई
29. ललताबाई बेवा रामप्रसाद जाति धाकड़ निवासीगण कस्बा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner